निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड
शहीद भगत सिंह कॉलोनी, अधोईवाला देहरादून,
Email.-ukdirectorminority@gmail.com phone:0135-2780122

विज्ञप्ति

अल्पसख्यक समुदाय के परिवारों की मेधावी बालिकाओं की शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु अल्पसंख्यक कल्याण विभाग कि अन्तर्गत **"मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना"** का संचालन अपणि सरकार पोर्टल के माध्यम से आनलाईन किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत पात्र छात्राओं से **https://eservices.uk.gov.in** के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन पत्र आमत्रित किये जाते है। प्रकिया पूर्णतः ऑनलाईन है तथा किसी भी प्रकार से ऑफलाईन आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। पोर्टल पर आनलाईन आवेदन प्राप्त किये जाने की तिथि निम्नानुसार है :–

योजना का नाम	आवेदन पत्र ऑनलाईन प्रारम्भ किये जाने की तिथि	आवेदन किये जाने की अंतिम तिथि
"मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना"	दिनांक 15 मई, .2026	दिनांक 30 जून, 2026

2. **"मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना'** से सम्बन्धित नियमावली संख्या–183/XVII-3/2016-07(37)/2013, दिनांक 15 फरवरी, 2016 एवं संशेधित शासनादेश संख्या–1158/XVII-3/2016-07(37)/2013, दिनांक 23 अगस्त, 2016 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड/मदरसा शिक्षा परिषद् की हाईस्कूल परीक्षा अथवा समकक्ष मुंशी/मौलवी एवं इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष आलिम परीक्षा में संस्थागत अभ्यर्थी के रूप में 60 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को ही प्रवीणता सूची के अनुसार विशेष अनुदान के रूप में निम्नवत् धनराशि उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है:–

परीक्षा का स्तर	60 प्रतिशत या अधिक प्राप्तांक पर देय धनराशि ₹ में	70 प्रतिशत या अधिक प्राप्तांक पर देय धनराशि ₹ में	80 प्रतिशत या अधिक प्राप्तांक पर देय धनराशि ₹ में
हाईस्कूल या मुंशी या मौलवी	₹10,000	₹15,000	₹20,000
इण्टरमीडिएट या आलिम	₹15,000	₹20,000	₹25,000

उक्त योजना के अन्तर्गत मेधावी छात्राओं की पात्रता की मुख्य शर्तें निम्नवत होगी:–

1. योजनान्तर्गत अल्पसंख्यक समुदाय की ऐसी छात्राएं पात्र होगी, जिन्होंने उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद, रामनगर/उत्तराखण्ड मदरसा बोर्ड की अधीन किसी विद्यालय /कालेज/मान्यता प्राप्त मदरसों से हाईस्कूल/मुंशी/मौलवी एवं इण्टरमीडिएट/आलिम परीक्षा संस्थागत छात्रा के रूप में 60 प्रतिशत अथवा उससे अधिक अंकों से उत्तीर्ण की हो।
2. छात्रा के माता–पिता/अभिभावक गरीबी रेखा के नीचे के श्रेणी में आते हो अथवा उनकी समस्त स्रोतों से वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में ₹81,000.00 तथा शहरी क्षेत्र में ₹103000.00 से कम हो।
3. आय प्रमाण पत्र राजस्व विभाग के सक्षम अधिकारी, जिसका स्तर तहसीलदार से कम न हो के द्वारा प्रदत्त ही मान्य होगा।
4. योजना के अन्तर्गत संस्थागत अविवाहित छात्राएं पात्र होगी, जिनकी आयु अनुदान स्वीकृत होने के वर्ष की 01 जुलाई को 20 वर्ष से अधिक न हो।
5. छात्रा अल्पसंख्यक समुदाय की हो।
6. छात्रा उत्तराखण्ड राज्य की मूल/स्थायी निवासी हो।
7. योजना का लाभ मेरिट सूची के आधार पर दिया जायेगा अर्थात प्राप्त आवेदन पत्रों में से पात्रता की श्रेणी के अन्तर्गत आने वाली छात्राओं की प्रवीणता सूची (मेरिट सूची) तैयार की जायेगी। योजना का लाभ उपलब्ध बजट धनराशि के सापेक्ष वर्तमान वित्तीय वर्ष में दिया जायेगा। अवशेष आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
8. पूर्णकालिक/अंशकालिक रूप से सेवायोजित छात्रा इस सुविधा हेतु अर्ह नहीं होगी।
9. एक दम्पत्ति की अधिकतम दो पुत्रियों को ही इस योजना से लाभान्वित किया जायेगा।
10. योजनान्तर्गत समस्त वांछित अभिलेख पोर्टल पर अपलोड किये जाने आवश्यक होगें।
11. ऑनलाईन आवेदन पत्र में किसी भी गलत सूचना अंकित किये जाने पर ऑनलाईन आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आवेदनकर्ता की होगी एवं इस संबंध में किसी भी प्रकार का पत्राचार स्वीकार किया जाना सम्भव नहीं होगा।
12. योजनान्तर्गत आवेदन की प्रकिया एवं भुगतान पूर्णतः ऑनलाईन है। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र को भली भांति जांच कर ड्राफ्ट में Save करते हुए अंतिम तिथि तक पूर्ण कर Submit किया जाना अनिवार्य है। ऑनलाईन आवेदन के Submit होने के उपरान्त किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा और न हीं इस संबंध में इसी भी प्रकार का पत्राचार मान्य होगा। इसलिए आवेदन–पत्र को Submit किए जाने से पूर्व भली भांति चैक कर लें।
13. ऑनलाइन आवेदन में आवेदनकर्ता द्वारा गलत सूचना के आधार पर अनुदान की धनराशि प्राप्त किये जाने की स्थिति में अनुदान की धनराशि नियमानुसार वसूल करते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही भी अमल मे लायी जायेगी।

(गिरधारी सिंह रावत)
निदेशक।

पत्रांक 92 /नि.अ.क./मु.मे.बा.प्रो.यो/2026–27 दिनांक 13 मई, 2026

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. विशेष सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. समस्त जिलाधिकारी।
4. निदेशक (प्रशासन) सूचना प्रौद्योगिकी, विकास एजेन्सी, (आई0टी0डी0ए0) सहस्त्रधारा रोड, देहरादून को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की कृपया उपरोक्तानुसार आवेदन ऑनलाईन प्रारम्भ किये जाने की तिथिनुसार पोर्टल पर ऑनलाईन प्रकिया प्रारम्भ करते हुए जनपदीय कार्यालय स्तर पर योजना के आवेदन पत्रों सत्यापित किये जाने की अंतिम तिथि को भी दिनांक 15 जुलाई, 2026 तक अद्यतन कराने का कष्ट करें।
5. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया संबधित शिक्षण संस्थानों को उक्त योजना के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।
6. समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी एवं समस्त समाज कल्याण अधिकारी, को इस आशय से प्रेषित कि अपने जनपदों में स्थित शैक्षणिक संस्थानों को भी अपने स्तर से सूचित करने का कष्ट करें।
7. सम्पादन अमर उजाला, हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त विज्ञप्ति 15X12 के साईज में उत्तराखण्ड संस्करण में डी.ए.वी.पी दरों के आधार पर प्रकाशित करते हुए बिल भुगतान हेतु निदेशालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

13/5/26
निदेशक।